न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्याम सिंह शेखावत, आर.ए.एस

अपील संख्याः 146/2021

रतनलाल बैरवा पुत्र स्व. श्री पूरणमल बैरवा जाति बैरवा, हाल निवासी प्लॉट नंबर 57 गोमती कॉलोनी पोस्ट जगतपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

..... **अपीलार्थी**

बनाम

1. नवल बैरवा पुत्र रतन लाल बैरवा
2. राजेन्द्र बैरवा पुत्र रतन लाल बैरवा
3. नीतू बैरवा पुत्री रतन लाल बैरवा
   समस्त जाति बैरवा, निवासीयान ग्राम विमलपुरा (बैरवो की ढाणी) पोस्ट विधाणी, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. माया बैरवा पुत्री रतनलाल बैरवा
5. तुलती बैरवा पुत्री रतन लाल बैरवा
6. करण बैरवा पुत्र रतन लाल बैरवा
   समस्त जाति बैरवा, निवासीयान प्लॉट नंबर 57, गोमती कॉलोनी, पोस्ट जगतपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
8. उप पंजीयक प्रथम, कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर।

.....**रेस्पोडेन्ट्स**

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 29.01.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दक्षिण, जिला जयपुर प्रार्थना पत्र संख्या 115/2020 उनवान नवल व अन्य बनाम रतन लाल व अन्य अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

राम अवतार मौर्य एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी
निर्मल कुमार जैन एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 ल. 3
हरिनारायण एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 4 ल. 6

निर्णय दिनांकः 01/10/21

:–निर्णय–:

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दक्षिण, जिला जयपुर के प्रार्थना पत्र संख्या 115/2020 बउनवानी नवल व अन्य बनाम रतनलाल बैरवा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 29.01.2021 के विरूद्व अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि खसरा नंबर 125 रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि ग्राम विमलपुरा, तहसील सांगानेर,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

जिला जयपुर में स्थित है जो प्रार्थीगण की पैतृक भूमि है। आराजी संवत् 2074 से 2077 में पूरण पुत्र भैरू के नाम दर्ज थी जो कि अप्रार्थी संख्या 1 के पिता है। प्रार्थी के दादा पूरण का देहान्त पूर्व में हो चुका है जिनकी विरासत का नामान्तकरण दिनांक 04.02.2020 को स्वीकृत हुआ है उक्त भूमि मृतक पूरण के विधिक वारिसों के नाम दर्ज की गई है जिसके आधार पर ही उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है इस प्रकार आराजीयात प्रार्थी की पैतृक सम्पत्ति है। उक्त विरासत के आधार पर जो आराजी कृषि भूमि प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 1 रतन को मिली। अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से की भूमि में प्रार्थीगण प्रत्येक का हिस्सा 1/4 कुल 3/4 हिस्सा पैतृक होने के कारण नियत है तथा पारिवारिक व्यवस्था के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के दो पुत्र प्रार्थी संख्या 2 व 3 होने के कारण प्रार्थी संख्या 2 व 3 अप्रार्थी संख्या 1 के संपूर्ण हिस्से पर काबिज काश्त व उपयोग उपभोग में है चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 गत 20–22 वर्षो से किसी अन्य महिला के साथ उक्त पते पर रहता है प्रार्थी व उनकी माता के साथ अप्रार्थी संख्या 1 नहीं रहता है, अप्रार्थी संख्या 1 शराब का नशा भी करता है वर्तमान में भी अप्रार्थी संख्या 1 उसी दूसरी औरत के साथ रहता है तथा उसके प्रभाव में है, साथ ही वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 की आयु भी काफी हो चुकी है उनकी इस अवस्था का लाभ लेकर व राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 का नाम होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 उक्त आराजीयात को किसी दीगर व्यक्ति को बेचना चाहता है ऐसा होने से प्रार्थी अपने हक हकूको की वैध आराजीयात से वंचित हो जायेगा तथा उनके जीवन यापन का आधार सदैव के लिए समाप्त कर उनके परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जायेगी। कुछ दिन पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 दीगर व्यक्तियों को लेकर प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजीयात पर आया और विक्रय हेतु बातचीत करने लगा तथा प्रार्थी ने इसके लिए पूछा तो अप्रार्थी संख्या 1 ने कहा कि उक्त आराजीयात को मैं दीगर व्यक्तियों को विक्रय कर रहा हूँ तो प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को मना करने पर अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के साथ गाली गलौच व मारपीट करने पर उतारू हो गया व अप्रार्थी संख्या 1, प्रार्थी को उसके विधिक अधिकार की सम्पत्ति से वंचित कर उक्त वर्णित कृषि भूमि को खुर्द–बुर्द करना चाह रहा है इस कारण प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रथमदृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। सुविधा का संतुलन एवम् अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में है यदि अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो प्रार्थी को गम्भीर क्षति होगी जिसकी पूर्ति संभव नहीं हो सकेगी। अंत में प्रार्थी ने अनुतोष चाहा कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि उक्त वर्णित आराजीयात का विक्रय, रहन, बक्शीश, विक्रय किसी दीगर व्यक्ति को न करे तथा न ही प्रार्थी के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ही करें, मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनकर, बाद बहस मनन निर्णय दिनांक 29.01.2021 के माध्यम से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म करते हुए, उभयपक्षकारान् को वाद के अंतिम निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने निवेदन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

किया कि अपीलार्थी द्वारा खसरा नंबर 125 रकबा 0.28 हैक्टेयर भूमि में 1/7 हिस्सा दिनांक 23.08.1996 को क्रय किया था एवं रजिस्ट्री अपने पिता स्व. पूरणमल बैरवा के नाम करवाई थी। विवादग्रस्त आराजीयात ग्रान्ड फादर की स्वयं अर्जित सम्पत्ति है, विरासत की सम्पत्ति नहीं है इस कारण पिता के जीवनकाल में ग्रान्ड फादर की स्वयं अर्जित सम्पत्ति में पौत्र व पौत्री का कोई विधिक अधिकार कानूनन नहीं बनता है। रेस्पोडेन्ट आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है इस कारण अपीलार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकार रेस्पोडेन्ट्स को प्राप्त नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर न्यायिक विवेचन न करते हुए मात्र ऑर्डरशीट पर निर्णय पारित किया है, जो विधिक निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.2021 खारिज किया जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अभिभाषक अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुए निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट के दादा पूरण की सम्पत्ति है एवं अपीलार्थी को जरिये विरासत नामान्तकरण ही आराजीयात में हक हिस्सा प्राप्त हुआ है जिसमें रेस्पोडेन्ट्स का विधिक हक हिस्सा निहित है। यदि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता तो अपीलार्थी अब तक आराजीयात को विक्रय, हस्तान्तरित कर देता। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत वाद अभी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के निस्तारण तक उभयपक्षकारान् को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद न्यायोचित रूप से किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी आधारहीन होने से खारिज की जावे।

4. अभिभाषक पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। अपील मीमों एवम् अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 01.10.2020 के जरिये प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनकर, बहस का विस्तृत विवरण अंकित बिना ही यह आदेश दे दिया गया कि " उभयपक्षों को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में अंकित भूमि बाबत् प्रार्थना पत्र में जवाब पेश होने तक मौके की यथास्थिति बनाये रखे, पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28.10.2020 को पेश हो।" तत्पश्चात् दिनांक 22.01.2021 को उभयपक्षों की बहस सुनी गई एवम् दिनांक 29.01.2021 की आदेशिका में यह अंकित कि " पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई, पूर्व में उभयपक्षों की बहस सुनी जा चुकी है एवम् दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। मूल वाद का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना है तब तक वादग्रस्त आराजी को संरक्षित बनाये रखना आवश्यक समझते है जिससे वाद में बाहुल्यता ना बढे। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र टी. आई. स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाकर, उभयपक्षों को ताफैसला मूल वाद वादग्रस्त भूमि के मौके एवम् रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। " विधि अनुसार किसी अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निस्तारित किये जाने हेतु तीन मूलभूत बिन्दुओं क्रमशः प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवम् अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु पर विस्तृत विवेचन किया जाना नितान्त आवश्यक है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में पूर्व में जारी किये गये एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को कन्फर्म किया जाना वर्णित किया गया है, उपरोक्त निर्धारित तीनों बिन्दुओं के सन्दर्भ में किसी प्रकार का विवेचन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

या विश्लेषण नहीं किया गया है कि वे किस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर, अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने के निष्कर्ष तक पहुंचे है। अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा गंभीर न रहकर, अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में मात्र सरसरी तौर पर आदेश पारित किया है जो न्यायोचित नहीं है।

5. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.01.2021 खारिज किया जाता है। पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान् की विधिवत सुनवाई कर, अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुये युक्तियुक्त निर्णय पारित करें। यदि उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित हो तो पुनः न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते है। उभयपक्षकारान् को जरिये अभिभाषक अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 08.11.2021 को आवश्यक रूप से उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 01/10/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर